तारीख
जो इस
शामिल थे
हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 89/16

GCMS NO 2016/00002

1. काडू
2. मुकेश
3. विष्णु
4. नरेश पुत्रान करतूरा जातियान तेलीयान निवासी बाढपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
5. उगन्ता
6. सुशीला
7. राजन्ती
8. सीमा
9. गीता पुत्रियांन करतूरा जातियान तेलीयान निवासी बाढपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
10. बदाम देवी पत्नि कस्तुरा
11. हरिमोहन पुत्र केसरा
12. प्रेम बेवा केसरा
13. राजू पुत्र केसरा
14. सीमा पुत्री केसरा
15. अनिता पुत्री केसरा
16. कौशल्या पुत्री केसरा जातियान तेलीयान निवासी बाढपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. कमला पुत्री गोपीलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति तेली निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. विमला पुत्री गोपीलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति तेली निवासी छाण हाल निवासी मीणा कालोनी सवाई माधोपुर
3. मुरारी पुत्र रामगोपाल जाति तेली निवासी बाढपुर हाल निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. हरिमोहन पुत्र रामगोपाल जाति तेली निवासी बाढपुर बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
5. महावीर पुत्र रामगोपाल जाति तेली निवासी बाढपुर हाल बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
6. रामकन्या पत्नि रामगोपाल जाति तेली निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
7. नागाराम पुत्र ग्यारसा जाति तेली निवासी बहरावण्डा ...
8. शंकर पुत्र धन्या जाति गुर्जर निवासी बाढपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

9. रामजीलाल पुत्र रामकुवांर जाति तेली निवासी बाढपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
10. जगदीश पुत्र रामकुवार जाति तेली निवासी बाढपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
11. लदूर पुत्र गोकुल जाति गुर्जर निवासी बाढपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
12. सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 01/14 निर्णय दिनांक 29.6.16
न्यायालय उपजिला कलक्टर, खण्डार)

अभिभाषक अपीला0 श्री रमेश चंद गोयल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल

दिनांक 04.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 29.6.16 न्यायालय उपजिला कलक्टर, खण्डार पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनरथ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 141 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, 142 रकबा 5 विस्वा, 145 रकबा 6 विस्वा, 146 212 रकबा 2 बीघा 18 विस्व , 211 रकबा 5 विस्वा , 216 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, 238 रकबा 3 विस्वा, 147 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 8 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम बाढपुर मे स्थित है। जो प्रार्थीयान संख्या एक व दो के बाबा तथा प्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के पडबाबा नारायण पुत्र हवल्या तेली की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात थी। उक्त वर्णित आराजीयात के सेटलमेंट ने नये नम्बर कायम कर दिये। आराजी ख0न0 159 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, 160 रकबा 5 विस्वा , 163 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा , 265 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा , 296 रकबा 3 विस्वा नारायण की खातेदारी की आराजीयात के नवीन खसरा न0 है। तथा गैर कानूनी आधार पर वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व 8 लगायत 11 की खातेदारी मे दर्ज है। वाद पत्र के मद न0 4 मे वर्णित आराजीयात नारायण पुत्र हवल्या तेली की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात होने तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 नारायण के वारिसान होने के कारण संयुक्त रूप से मालिक व काबिज है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/3 तथा प्रार्थी संख्या 3 ता 5 का 1/6 हिस्सा तथा 1/3 हिस्से के अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 एवं अप्रार्थी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा है। [illegible] अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 का कब्जा मौके पर चला [illegible] के फौत हो जाने के पश्चात नारायण के चारो लडके विधिक रूप से मालिक व काबिज थे व चले आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रहे है। लेकिन सेटलमेंट व रेवेन्यू कर्मचारियो से साठ गाठ कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के बुजुर्ग नारायण के बडे बेटे कल्याण ने कर्ता खानदान नारायण होने व बडा बेटा होने का फायदा उठाकर नारायण की खातेदारी की भूमि को नारायण के अन्य वारिसान को छिपाते हुए अपने नाम दर्ज करवा लिया। आराजीयात पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 अपने अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 3.12.13 को अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 11 आराजी ख0न0 159 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा पर आये और कहने लगे कि इस आराजी को हमने खरीद लिया है और अब हम इस पर काश्त करेगे। यह भूमि हमने अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 से खरीद की है। इस जानकारी पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से आराजीयात को प्रार्थीगण की खातेदारी मे हिस्सा दर्ज कराने की कहा तो उनके द्वारा इंकार कर दिया एवं अन्य आराजीयात को भी विक्रय करने की धमकी दी गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वार अनाधिकृत रूप से विक्रय की गई भूमि का विक्रय पत्र अप्रभावी है। अतः आराजी ख0न0 159 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 का 1/6 एवं अप्रार्थी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा नारायण की खातेदारी की जमीन होने के कारण है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 को अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः नारायण पुत्र हवल्या की आराजीयात मे से प्रार्थी के हिस्से को प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे प्रार्थीगण को उनके हिस्से 1/2 मे कब्जे काश्त मे उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का मजाहमत न तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे तथा रहन वय नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थीगण मजदूरी करने जयपुर चले गये थे। पत्रावली शिविर अल्लापुर मे रखी जाने का कोई नोटिस अपीलांट को नही दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई किये ही निर्णय पारित किया हे। उक्त प्रकरण दिनांक 29.6.16 को जबाब प्रार्थना पत्र के लिए नियत थी बिना जबाब बंद किये व जबाब का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश नही है ना ही रेस्पो0 किस प्रकार प्राईमाफेसाई केस रखते है नही बताया है। किन खसरा नम्बरान के बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है उसका कोई उल्लेख नही किया गया है। किस कानून के तहत तहसीलदार को तहरीर जारी की गई है। रेस्पो संख्या 1 ता 6 का उक्त आराजीयात से कोई संबंध व वास्ता नही रहा है रेस्पो0 न तो खातेदार है और ना ही उनके कब्जे मे है। अपीलार्थी उक्त जमीनो के खातेदार काश्तकार रिकार्ड आफ टाईटल है इसलिए खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। उक्त आराजीयात अपीलार्थी के बाबा कल्याण की खातेदारी मे 65–70 वर्षो से चली आ रही है कल्याण के मरने के बाद उसके दोनो लडके केसरा व किस्तुरा के नाम खातेदारी मे अंकन हुआ अव अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी है। इसलिए अपीलार्थी को प्राईमाफेसी केस बनता है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपना पक्ष रखते । रेस्पो0 ग्राम बाढपुर मे विगत 50–60 वर्षो से नही रहते है। इसलिए कब्जा उनका होने का प्रश्न ही नही उठता है। रेस्पो0 मृतक नारायण व कल्याण के वंशज है कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही होते हुए भी उनको उत्तराधिकारी मानते हुए निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पारित होने से पूर्व ही किस्तुरा का देहान्त हो चुका था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के खिलाफ आदेश पारित किया है। सहखातेदारान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पो/प्रार्थीयान संख्या एक व दो के बाबा तथा रेस्पो/प्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के पडबाबा नारायण पुत्र हवल्या तेली की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात थी। उक्त वर्णित आराजीयात के सेटलमेंट ने नये नम्बर कायम कर दिये। आराजी ख0न0 159 रकबा 2 बीधा 2 विस्वा, 160 रकबा 5 विस्वा , 163 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा , 265 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा , 296 रकबा 3 विस्वा नारायण की खातेदारी की आराजीयात के नवीन खसरा न0 है। तथा गैर कानूनी आधार पर वर्तमान मे अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व 8 लगायत 11 की खातेदारी मे दर्ज है। वाद पत्र के मद न0 4 मे वर्णित आराजीयात नारायण पुत्र हवल्या तेली की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात होने तथा अपीलांट/प्रार्थीगण व रेस्पो0/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 नारायण के वारिसान होने के कारण संयुक्त रूप से मालिक व काबिज है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/3 तथा प्रार्थी संख्या 3 ता 5 का 1/6 हिस्सा तथा 1/3 हिस्से के अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 एवं अप्रार्थी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा है। उसी के अनुसार रेस्पो/प्रार्थीगण व अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 का कब्जा मौके पर चला आ रहा है। नारायण पुत्र हवल्या के फौत हो जाने के पश्चात नारायण के चारो लडके विधिक रूप से मालिक व काबिज थे व चले आ रहे है। लेकिन सेटलमेंट व रेवेन्यू कर्मचारियों से सांठ गांठ कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के बुजुर्ग नारायण के बडे बेटे कल्याण ने कर्ता खातेदार नारायण होने व बडा बेटा होने का फायदा उठाकर नारायण की खातेदारी की आराजी को नारायण के अन्य वारिसान को छिपाते हुए अपने नाम दर्ज करवा लिया। आराजीयात पर रेस्पो/प्रार्थीगण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 अपने अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पो/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 का किसी प्रकार का बेचान नही किया गया है। अपीलांट का यह कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होने की उनको कोई सूचना नही था बल्कि सत्य यह है कि उनको न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील कराई गई है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.12.15 मे स्पष्ट उल्लेख है कि उभयपक्ष वकील उपस्थित है। उनके द्वारा जबाव पेश नही किया है। राज्य सरकार द्वारा लोक अदालत शिविर प्रकरणो के समय पर निस्तारण हेतु अभियान जनहित के मद्देनजर चालू किये जाने के फलस्वरूप ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण लोक अदालत शिविर अल्लापुर मे नियत की गई जिसकी जानकारी अपीलांट को थी। क्योकि लोक अदालत शिविर आयोजन के संबंध मे पूर्व मे ही न्यायालय द्वारा समाचार पत्रो मे शिविर का स्थान एवं दिनांक का प्रचार प्रसार कराया जाता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत शिविर मे नियत कर प्रकरण का विधि अनुरूप निस्तारण किया गया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात नारायण पुत्र हवल्या की खातेदारी की आराजीयात थी। जो राजस्व रिकार्ड से साबित है। भूमि के हिस्से बाबत वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे विचारधीन है। जहॉ तक प्रश्न अस्थाई निषेधाज्ञा का है उसमे अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश नही होना पत्रावली से साबित है। पत्रावली मे आदेशिका दिनांक 22.3.16 से 2.5.16 नियत की गई तत्पश्चात दिनांक 29.6.16 को लोक अदालत शिविर अल्लापुर मे प्रकरण का निस्तारण किया गया परन्तु लोक अदालत शिविर मे उपस्थित होने बाबत किसी प्रकार का कोई नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय उपस्थिति मे प्रकरण का निर्णय पारित किया गया है। जबकि विधि के प्रावधान अनुसार लोक अदालत शिविर मे उपस्थित होने हेतु अपीलांट/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने चाहिए थे। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किये गय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्य किस्तुरा जो कि दिनांक 5.4.14 को फौत हो चुका है मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है उनकी मृत्यु के पश्चात दिनांक 29.6.16 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक मृतक के खिलाफ पारित किया जाना स्पष्ट साबित है। अतः अपीलांट की अपील रिमाण्ड योंग्य है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर खण्डार के मुकाम पर दिनांक 29.6.16 को आपस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण मे अपीलांट/अप्रार्थीगण का जबाब प्राप्त कर मृतक कल्याण के जायज वारिसान को कायम मुकाम बनाये जाने की कार्यवाही करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:58:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार के समक्ष दिनांक 20.12.2024 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:30 IST
Reason: SelfAttested